

कार्यालय अधीक्षण उत्पाद मधेपुरा

ज्ञापक \_\_\_\_\_ दि. \_\_\_\_\_

आदेश

आयुक्त उत्पाद, निबंधन, उत्पाद एवं मध्यावधि  
विभाग विहार, परग के अधीक्षण ज्ञापक - 31 सी 5-  
सीने - 12/2011 - 3262 दि. 24.11.2011 द्वारा 26 नवम्बर  
को प्रतिबन्ध शुद्ध-दिवस के रूप में घोषित किया गया  
है। 26 नवम्बर को घोषित शुद्ध-दिवस के अवसर पर  
उत्पाद अनुज्ञाप प्राप्त परिपत्रों से सभी प्रकार के मद्रिरा  
की बेव्ही पूर्णतः बन्द रहेगी।  
उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की  
जाएगी।

३०/-

प्र० अधीक्षण उत्पाद  
मधेपुरा।

ज्ञापक 786 दि. 22.11.2013

- प्रतिज्ञापक : मेरीदाउ उत्पाद-एड-अंचल अकर निरीक्षण उत्पाद  
एड-एड-उत्पादनिर्माण अंचल को सूचनार्थ एवं  
आकरअक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हे निर्देशित किया  
जाता है कि सभी शरण दुवागों को बन्द करलग  
पुनोर्षित करेंगे तब सूचना गहनी। क्षमाकर्त करेगें।  
ताकि किसी भी शोन से शराक नी बेव्ही रहे हीसके।
- प्रतिज्ञापक : प्रबन्ध, को एके को ही एन. रेमी। विशेषी शरणमधेपुरा  
की सूचनार्थ एवं आकरअक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिज्ञापक :- प्रतिनिधि। मधमण्डाल फडाधेवारी सर्वश्री मट्टानाथा  
कोटावेग एजान्त-एड-रेमी शरण निरीक्षणमण्डाल  
मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आकरअक कार्रवाई हेतु प्रेषित
- प्रतिज्ञापक :- जिला सूचग विज्ञान अधिकारी, एन-उमई, सी. मधेपुरा  
को वेकहाइट पर अपलाग करे हेतु प्रेषित।

22/11/13

प्र० अधीक्षण उत्पाद  
मधेपुरा।